दिल्ली में राशन कार्ड पर गैस कनेक्शन दिए जाना

5956. **श्री रामा राम शाक्य :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुकिंग गैस कनेक्शन देने के लिये नवम्बर, दिसम्बर 1978 में राशन कार्ड पर पंजीकरण किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज किये गये और उन्हें कब तक गैस मिलने की संभावना है ।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां, दिल्ली में कुकिंग गैस कनेक्शन देने के लिये राशन कार्ड अथवा आवास का प्रमाण देने पर पंजीकरण किया गया था।

(ख) पंजीकृत किये गये व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

(i) भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन

नवम्बर,	1978	2952
दिसम्बर	1978	8128

(ii) इण्डियन आयल कारपोरेशन

दिसम्बर, '78 और फरवरी 1979 के बीच 1.21 लाख (लगभग) ।

तरल पैट्रोलियम गैस (कुकिंग गैस) के उत्पादन के लिये नई सुविधाओं के आरम्भ होने से वर्ष 1980-81 के बाद से तरल पैट्रोलियम गैस की उपलब्धता में वृद्धि होने से डीलरों के पास पड़ी गैस कनेक्शन के लिये पंजीकृत व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची को शीघ्र निपटाने की आशा की जाती है ।

Study by MRTP Commission on Large Industrial Houses

5957. **SHRI K. A. RAJAN:** Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the MRTP commission has started a study on the growth of large industrial houses in the country; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) No, Sir.

The MRTP Commission has not commenced any study on the growth of large industrial houses in the country. However, such of the proposals under Sections 21, 22 and 23 of the MRTP Act, relating to expansion of undertakings, establishment of new undertakings, merger, amalgamation and takeover, as are referred by the Central Government for enquiry to the Commission, are being enquired into and reported upon by them.

(b) Does not arise.

क्रिकेट मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित करने का समय

5958. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रिकेट जैसे कुछ खेलों के मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित करने का समय ऐसा होता है जब कर्मचारी कार्यालयों में काम पर होते हैं और छात्र तथा अध्यापक स्कूल कालेजों में होते हैं।

(ख) क्या यह सच है कि कमेंट्री के दौरान वे कार्यालय के काम पर और अपने अध्ययन की ओर कोई ध्यान नहीं देते और रेडियो को ध्यान पूर्वक सुनते हैं जिस के परिणाम स्वरूप कार्यालय के काम और अध्ययन का नुकसान होता है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार "कमेंटरी" के समय में परिवर्तन करने या उसकी अवधि कम करने का है जिससे काम करने के समय कोई बाधा न पड़े ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) आंखों देखा हाल प्रसारित करने का समय वास्तव में खेले जा रहे मैचों के समय से संबंधित होता है । यह सच है कि क्रिकेट मैचों का समय सामान्यतया वही होता है ; जो कार्यालय/स्कूल/कालेज का समय होता है । तथापि, अधिक महत्वपूर्ण मैचों में पर्याप्त रुचि के कारण आकाशवाणी और दूरदर्शन को आंखों देखा हाल के माध्यम से उनको पर्याप्त कवरेज देना पड़ता है अत: इन कमेंट्रियों के समय में परिवर्तन करना या समय कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।